



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275355
CG-DL-E-10082026-275355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4245]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948

No. 4245]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 4423(अ).— पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबंधन बोर्ड के आवेदन पर केन्द्र सरकार तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के दिनांक 2 मार्च, 1979 के का.आ. 120 (अ) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिसूचना कहा गया है) और समय-समय पर किए गए पश्चातवर्ती संशोधनों में निम्नोक्त संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 'ख' में,-

(क) पैरा 2 को निम्नोक्त पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“इस कोष का उद्देश्य पूरे भारत को शामिल करना होगा।”

(2) पैरा 3 को निम्नोक्त पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“इस कोष की निधियों के प्रबंधन और शासन के लिए एक प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' कहा गया है) गठित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री - अध्यक्ष (पदेन)

- ii. माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री - विशेष आमंत्रित (पदेन)
- iii. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – कार्यकारी अध्यक्ष
- iv. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी के प्रभारी संयुक्त सचिव – सदस्य
- v. वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – सदस्य
- vi. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) – सदस्य
- vii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अथवा संयुक्त सचिव के स्तर का प्रतिनिधि – सदस्य
- viii. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अध्यक्ष अथवा संयुक्त सचिव के स्तर का प्रतिनिधि - सदस्य
- ix. माननीय मंत्री द्वारा नामित तीन गैर-सरकारी सदस्य – सदस्य।
- x. निदेशक, एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी – सचिव-कोषपाल।"

(3) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. संख्या एनआईपी-13/10/2016-एनआईपी]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मुख्य अधिसूचना का.आ. 120 (अ) दिनांक 2 मार्च, 1979 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई तथा का.आ. संख्या 2071, दिनांक 28 जुलाई, 1980 और का.आ.1311(अ) दिनांक 24 नवंबर, 2004 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 4423(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the *Charitable Endowments Act, 1890* (6 of 1890), and on an application made by the Board of Management of the National Children's Fund, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S.O. 120(E), dated the 2nd March, 1979 (hereinafter referred to as the said notification) and as subsequently amended from time to time namely:

In Schedule 'B' to the said notification—

(a) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:

"The Objective of the Fund shall extend to the whole of India."

(2) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:

"For the management and administration of the Funds of the Fund, a Board of Management (hereinafter referred to as the 'Board') shall be constituted consisting of the following members, namely:

- i. Hon'ble Minister, Ministry of Women and Child Development – Chairperson (Ex-officio)
- ii. Hon'ble Minister of State, Ministry of Women and Child Development – Special Invitee (Ex-officio)
- iii. Secretary, Ministry of Women and Child Development – Working Chairperson
- iv. Joint Secretary in-charge of SPNIWCD in Ministry of Women and Child Development – Member
- v. Financial Adviser, Ministry of Women and Child Development – Member
- vi. Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) – Member

- vii. Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment or a representative not below the rank of Joint Secretary – Member
- viii. Chairman, National Skill Development Corporation (NSDC) or a representative not below the rank of Joint Secretary – Member
- ix. Three non-official members nominated by the Hon'ble Minister – Members
- x. Director, SPNIWCD – Secretary-Treasurer.”

(3) This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. NIP-13/10/2016-NIP]

AJEET KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, section 3, Sub-section (ii) vide S.O.120 (E) dated 2nd March, 1979 and subsequently amended vide S.O. No. 2071 dated 28th July, 1980 and further amended vide S.O.1311(E) dated 24th November, 2004.